कार्यालय कलेक्टर एवं भू–अर्जन अधिकारी, जिला–मुरैना

प्र0 क्र0 / 32 / 16–17 / अ–82 / भू–अर्जन / उ0म0रे0

/ / सूचना–पत्र / /

उप मुख्य अभियंता, (निर्माण)
उत्तर मध्य रेलवे ग्वालियर म.प्र.

बनाम

कृषकगण / हितबद्व व्यक्ति
ग्राम– अगरौता, तहसील व जिला मुरैना

द्वारा:– तहसीलदार परगना जौरा

भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे इस सूचना मे भू–अर्जन अधिनियम 2013 कहा गया है।) की धारा 21(1) के अन्तर्गत।

जरिये सूचना आपको सूचित किया जाता है कि ग्राम बामौरकलां तहसील व जिला मुरैना मे स्थित निम्नानुसार उल्लेखित सर्वे कमांक व प्रस्तावित रकवा अनुसार अशासकीय भूमि को प्रस्तावति छोटी रेल्वे लाईन से बडी रेल्वे लाईन के निर्माण के लिऐ स्थाई रूप से अर्जन हेतु सरकार का आशय है अतः भू–अर्जन, अधिनियम 2013 (2013 संख्याक 30) की धारा 21(1) के अन्तर्गत आपको सूचित किया जाता है कि आपसे संबधित सर्वे कमांक के संबध मे अपना हित, प्रतिकार के दावे का हक का भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 20 के तहत माप किया गया है। तदनुसार निम्न तालिका मे भू–अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि का विवरण दिया गया है, जिस हेतु प्रतिकार मय समतुल्य पुनर्वासन अनुदान, का अधिनिर्णय प्रस्तावित है जिसमे यदि कोई आपत्ति हो तो इस सूचना पत्र जारी होने की 30 दिवस की पूर्णता अर्थात दिनांक 07-01-18 तक इस न्यायालय मे स्वंय / अभिकर्ता / अभिभाषक के माध्यम से उपसंजात होकर अपना आक्षेप / दावा कथन के साथ प्रस्तुत कर सकते है। भू–अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का नक्शा कार्यालय तहसील मुरैना जिला मुरैना मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। उक्त निर्धारित अतिंम तिथि दिनांक 07-01-18 पश्चात भूमि का कब्जा संबधित विभाग को सौप दिया।

क्र. स.	राजस्व वृत / पटवारी हल्का / ग्राम / तहसील एवं जिले का नाम	सर्वे नंबर	भूमि का अर्जित रकवा है. मे		
			सिचिंत	असिचिंत	कृषि भिन्न
1	2	3	4	5	6
1	राजस्व वृत–8 / पटवारी हल्का– 79 / / ग्राम–अगरौता / तहसील एवं जिला मुरैना	6	0.005	निरंक	निरंक
2		10	0.003	निरंक	निरंक

3		11/1	0.363	निरंक	निरंक
4		11/2	0.297	निरंक	निरंक
5		37/1	0.067	निरंक	निरंक
6		37/2	0.035	निरंक	निरंक
7		34	0.512	निरंक	निरंक
8		35	0.128	निरंक	निरंक
9		36	0.097	निरंक	निरंक
10		41/1	0.064	निरंक	निरंक
11		42	0.005	निरंक	निरंक
कुल		11	1.576		

उपरोक्त तांलिका मे उल्लेखित भूमि की भू–अर्जन मुआवजा राशि का प्रस्तावित अधिनिर्णय, वांस्तविक अधिनिर्णय दिनांक से प्रभावशील भूमि के बाजारू मूल्य मार्ग दर्शक सिद्वांत के अनुसार की जावेगी अधिनिर्णय आदेश की प्रतिलिपि संबधित कृषकगण/हितबद्व व्यक्ति को प्रथक से उपलब्ध कराई जावेगी।

इस न्यायालय से पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से आज दिनांक 08/12/17 को जारी किया गया।

(भास्कर लाक्षाकार)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला–मुरैना (म0प्र0)

स्थान : मुरैना
तारीख : 08/12/17

पृष्ठांकंन क्र0 32/अ–82/भू–अर्जन/उ0म0रे0/2017/ मुरैना, दिनांक 08/12/2017

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर, जिला–मुरैना के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) **मुरैना,** जिला–मुरैना के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
3. उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) उत्तर मध्य रेल, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. तहसीलदार, परगना मुरैना की ओर उक्त अधिसूचना का प्रकाषन तहसील, पुलिस स्टेषन, ग्राम पंचायत के सूचना पटल एवं स्थल पर प्रकाषन/चस्पा करने एवं ग्राम में मुनादी उपरांत तामीली प्रति भेजने हेतु।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. मुरैना की ओर कलेक्टर, जिला–मुरैना (समुचित सरकार) के कार्यालय की अधिकारिंग बेवसाईड पर अपलोड हेतु।

(भास्कर लाक्षाकार)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला–मुरैना (म0प्र0)